

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002.

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15-10-2024.

क्रमांक एफ 08-08/2022/23;— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (MLA-LADS) की मार्गदर्शिका 2023 के 3.13 एवं परिशिष्ट-1, में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएं :—

3.13 किसी सोसायटी/न्यास/सामाजिक संगठन विशेष के जीवनकाल में एक अथवा उससे अधिक कार्यों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से अधिकतम रुपये 30.00 लाख तक स्वीकृत किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1 की कंडिका प, फ, ब एवं ष के वाक्यांश "(शासन की स्वीकृति लेकर/शासन की अनुमति से)" को विलोपित किया जाता है।

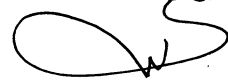
परिशिष्ट-1 की कंडिका र में "हर प्रकार के विद्यालय का आवाता निर्माण" जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट-1 की कंडिका ज्ञ में "दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को व्हील चेयर/श्रवण बाधितों के लिए ध्वनि यंत्र प्रदाय करना" जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट-1 की कंडिका व में "ग्राम पंचायतों में खेल को बढ़ावा देने हेतु पंचायत स्तर पर खेल सामग्रियों एवं व्यायाम सामग्री खरीदी की अनुमति प्रदाय करना।" जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट-1 ऋ— शव रखने हेतु फ्रीजर इत्यादि उपकरण प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सूर्यकिरण तिवारी)

उपसचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
15/10/2024

पृ.क्रमांक एफ 08-08/2022/23,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15-10-2024.

1. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. समस्त, माननीय मंत्रीगण, के विशेष सहायक, नवा रायपुर अटल नगर,
4. समस्त, माननीय विधायकगण, के निज सचिव
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
7. समस्त, संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
8. समस्त, कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
9. समस्त, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, छत्तीसगढ़,
10. समस्त, कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उपसचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
15/10/2024